(13)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 86 / 2020

विजेन्द्र सिंह कुलहरी, जाति जाट, निवासी सांगासी, तहसीरल नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 05.11.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.10.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 86 / 2020 पर दिनांक 14.10.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1683–1684 दिनांक 15.10.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक रीडर / विविध / 2020 / 343 दिनांक 04.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ को हस्तान्तरित किया गया। नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक पाठक / 2020 / 40दिनांक 14.08.2020 द्वारा संबंधित को सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा पत्रांक रीडर / विविध / 2020 / 343 दिनांक 04.11.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ को हस्तान्तरित किया गया। नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ द्वारा पत्र क्रमांक पाठक / 2020 / 40 दिनांक 14.08.2020 द्वारा संबंधित को सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/11/2020

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं